


064  
26

पत्रावली चेशा वकील प्रार्थी हाजिर। बाउ-2  
आदेश के बावजूद भी आज दिनांक तक  
अप्रार्थी गण की नामिल की रशीटे चेशा  
नहीं की। अतः प्रार्थी का आवेदन अं. धारा  
212 रगम आदेश 9 नियम 5 के तहत  
खारिज किया जाना है। पत्रावली कंसल  
शुमान होकर मन्वुर्ले कम होकर दाखिल हफ्त  
है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
वाताशमगढ़